न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 76/2016 **दायरा दिनांक : 18.04.2016**

उनवान

धूरीलाल आत्मज रामलाल, जाति गूर्जर, निवासी अरोलिया, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– ओम प्रकाश आत्मज गोपाल, जाति महाजन, निवासी झालावाड

2– रामप्रसाद आत्मज धूरीलाल, जाति गूर्जर, निवासी अरोलिया, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 82/2016 **दायरा दिनांक : 26.04.2016**

उनवान

धूरीलाल आत्मज रामलाल, जाति गूर्जर, निवासी अरोलिया, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– ओम प्रकाश आत्मज गोपाल, जाति महाजन, निवासी झालावाड

2– रामप्रसाद आत्मज धूरीलाल, जाति गूर्जर, निवासी अरोलिया, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

...... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 02.01.2018**

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

अपील संख्या 76/2016 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 42/प्रार्थनापत्र/2013 निर्णय दिनांक 31.03.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है और अपील संख्या 82/2016 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 97/प्रार्थनापत्र/2014 निर्णय दिनांक 31.03.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 76/2016 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थीगण ने यह दावा न्यायालय में पेश किया हुआ है जो जैरकार है । ग्राम अरौलिया, तहसील पचपहाड में आराजी खसरा नम्बर 11 पुराना 12 की खसरा नम्बर 134 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 136 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा कुल 2 किता की 11 बीघा 11 बिस्वा आराजी स्थित है । यह आराजी अप्रार्थी नम्बर 1 के खाते में दर्ज है । आराजी सन् 1955 के

बाद से ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है और इसको काबिज काश्त प्रार्थीगण ने ही बनाया है । 60 वर्षों से प्रार्थीगण का इस पर निरन्तर कब्जा है अन्य किसी का कब्जा नहीं रहा है । राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थी नम्बर 1 प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.03.2016 को प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी 60 वर्ष से अधिक समय से कब्जा है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है । कब्जे के बिन्दु पर कोई फाईडिंग नहीं दी है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दुओं पर कोई मत प्रकट नहीं किया है। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये रेस्पोडेंट अपीलांट को बेदखल करने का अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील संख्या 82/2016 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट ओम प्रकाश ने एक काउंटर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी उनके खाते एवं कब्जे की है जिस पर अप्रार्थी वादी जबरन कब्जा करने पर आमादा है । अतः उसे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि प्रार्थी प्रतिवादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है और वादी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है कि वादग्रस्त आराजी

पर प्रार्थी प्रतिवादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि कानूनन जो व्यक्ति दावा करता है वही अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है । प्रतिवादी जवाबदावे के साथ काउंटर क्लेम प्रस्तुत करने के बाद प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु रेस्पोडेंट नम्बर 1 का कोई काउंटर क्लेम नहीं था फिर भी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । कब्जे बाबत कोई फाईडिंग नहीं दी है बिना किसी आधार के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण की आरे से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के कब्जे की है । अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे पर कोई फाईडिंग नहीं दी है । प्रथम दृष्टा प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीयक्षति इन बिन्दुओं का विश्लेषण नहीं किया है । रेस्पोडेंट का कोई काउंटर क्लेम नहीं था फिर भी उन्हें धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है । अतः दोनों अपीलें स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 1998 पेज 82 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 42/2013 में फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2068–71 ग्राम आरोलिया सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट के खाते में दर्ज है । अपील संख्या 82/2016 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2068–71 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट के खाते में दर्ज है ।

जहां तक अपील संख्या 76/2016 का प्रश्न है अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका 60 वर्षों से कब्जा है, इस कारण उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये, परन्तु उन्होंने अपने 60 वर्ष से लगातार कब्जे का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । इस प्रकार अपीलांट प्रार्थी अपने कथन को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाये हैं । रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक है । प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में नहीं वरन रेस्पोडेंट के पक्ष में बनता है । अपीलांट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषिणा चाहते हैं जबकि कृषि भूमि में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । इन तथ्यों के आधार पर उनके द्वारा पेश किया गया दावा और इस दावे के तहत पेश किया गया प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से उसे खारिज किया, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

अपील संख्या 82/2016 रेस्पोडेंट ओमप्रकाश के प्रार्थना पत्र पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के खिलाफ पेश की गई है। रेस्पोडेंट ने न्यायालय में उपस्थित होकर न तो यह अवगत करवाया है कि उनका अधीनस्थ न्यायालय में काउंटर क्लेम था अथवा नहीं, व न ही उनके कब्जे के समर्थन में कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये है। प्रथम दृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में नहीं पाया जाता है। इन तथ्यों के

आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 76/2016 सारहीन होने से खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2016 प्रकरण संख्या 42/प्रार्थना पत्र/2013 यथावत रखा जाता हैं । अपील संख्या 82/2016 स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31–03–2016 प्रकरण संख्या 97/प्रार्थना पत्र/2014 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **02.01.2018** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा